भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1120
****

गुरूवार, 8 फरवरी, 2024/19 माघ, 1945 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

त्योहारों के मौसम के दौरान घरेलू विमान किराए

1120. डॉ.टी.आर.पारिवेन्धरः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में सभी निजी विमान कंपनियों ने विशेषकर जनवरी 2024 में त्योहारों के मौसम के दौरान मनमाने ढंग से विभिन्न घरेलू गंतव्य स्थलों के लिए अपने हवाई किराए में कई गुना वृद्धि कर दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विशेषकर त्योहारों के मौसम के दौरान विमान किरायों का निर्धारण करने के लिए इन विमान कंपनियों द्वारा क्या तर्क अपनाया गया है;

(ख) क्या सरकार ने सभी निजी विमान कंपनियों को उड़ानों का प्रबंधन/प्रचालन करने, प्रस्थान/आगमन का समय और किराया स्वयं तय/निर्धारित करने की छूट दे दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में विमान सेवाओं के प्रचालन को सुचारू बनाने, विमान किराए निर्धारित करने और विमान यात्रियों की सुरक्षा करने में सरकार की भूमिका और कार्यकरण क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (डॉ.) विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त))

(क): प्रचलित विनियम के अनुसार, सरकार द्वारा विमान किराए न तो स्थापित और न ही विनियमित किए जाते हैं।

एयरलाइनों द्वारा स्थापित लिए गए हवाई किराए गतिशील होते हैं और मांग और आपूर्ति के सिद्धांत का पालन करते हैं। किराए कई अन्य कारकों पर भी निर्भर करते हैं जैसे, किसी विशेष उड़ान पर पहले से ही बेची गई सीटों की संख्या, मौजूदा ईंधन की कीमत,उस मार्ग पर चलने वाले विमानों की क्षमता, उस सेक्टर में प्रतिस्पर्धा, मौसम, छुट्टियां, त्यौहार, लंबी अवधि के सप्ताहांत, कार्यक्रम (खेल, मेले, प्रतियोगिताएं), आदि।

(ख) और (ग) : मार्च 1994 में वायु निगम अधिनियम के समाप्त किए जाने के पश्चात, भारतीय घरेलू विमानन पर नियंत्रण समाप्त कर दिया गया। एयरलाइनें, इस संबंध में सरकार द्वारा जारी किए गए मार्ग संवितरण दिशानिर्देशों (आरडीजी) का अनुपालन करते हुए, किसी

भी तरह के विमान के साथ क्षमता बढ़ाने के लिए तथा सेवाएँ प्रदान करने के लिए किसी भी बाजार एवं नेटवर्क का चयन करके प्रचालन शुरू कर सकती हैं। अतः, अपनी प्रचालनिक एवं वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर देश में किसी भी हवाईअड्डे तक/से हवाई सेवाएँ शुरू करना, एयरलाइन प्रचालकों का सरोकार है।

नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने टैरिफ मानीटरिंग इकाई (टीएमयू) की स्थापना की है, जो मासिक आधार पर एयरलाइनों की वेबसाइटों का उपयोग करके आकस्मिक आधार पर चुनिंदा घरेलू क्षेत्रों पर विमान किराए की निगरानी करती है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि एयरलाइनें उनके द्वारा घोषित सीमा के बाहर विमान किराया वसूल नहीं रही हैं।

हवाई यात्रियों के लिए उचित सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने यात्रा करने वाले लोगों के हितों की रक्षा के लिए निम्नलिखित यात्री केंद्रित विनियम जारी किए हैं :

(i) दिव्यांगजनों और/या कम गतिशीलता वाले व्यक्तियों को हवाई मार्ग द्वारा ले जाया जाना [नागर विमानन अपेक्षा (सीएआर) खंड 3, श्रंखला एम, भाग I]।
(ii) यात्रियों को एयरलाइन टिकटों के किराए की धनवापसी (सीएआर खंड 3, श्रंखला एम,
भाग II)।
(iii) विमान में चढ़ने से मना करने, उड़ानों के रद्द किए जाने तथा उड़ान में विलंब के कारण एयरलाइनों द्वारा यात्रियों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं (सीएआर खंड 3, श्रंखला एम, भाग IV)।

******